



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 09.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मैलानी पुलिस अभियुक्तगण 1. नाजिम अली पुत्र स्व0 इशहार नि0 राजेपुर थाना मैलानी जनपद खीरी 2. अमित पुत्र जगमोहन नि0 कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 44/21 व 45/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना पलिया पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त वसीम पुत्र छोटे को
गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पलिया पुलिस अभियुक्त वसीम पुत्र छोटे नि० इकरामनगर थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 49/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन



दिनांक 08-02-21 को जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारियों एवं अभियोजन अधिकारीगण के साथ मासिक अपराध गोष्ठी कर अपराध समीक्षा की गई।

इस दौरान लंबित विवेचनाओं का गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने तथा आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

साथ ही सैनिक सम्मेलन करके पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत/विभागियों समस्याओं की जानकारी की गई तथा संज्ञान में आए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को भी अपने अधीनस्थ नियुक्त पुलिसकर्मियों की मासिक गोष्ठी कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा मिश्राना चौकी का औचक निरीक्षण किया गया




दिनांक 08.02..2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, द्वारा थाना कोतवाली सदर की मिश्राना चौकी का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्पूर्ण चौकी परिसर का भ्रमण कर कार्यालय आदि का निरीक्षण कर विभिन्न रजिस्टर्स/अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उनके व्यवस्थित रख-रखाव एवं अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया।

चौकी परिसर की नियमित साफ-सफाई कराने एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देश दिए गए। समस्त पुलिसकर्मियों को इ्यूटी के दौरान साफ-सुथरी एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों के साथ की गई

गोष्ठी



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, आरआई पुलिस लाइन व मेजर सच्चिदानन्द खरवार के साथ प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों की व्यक्तिगत/विभागियों समस्याओं की जानकारी की गई तथा संज्ञान में आए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 41/2021 धारा 307/323/504/506/435 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण 1-अंकुर मिश्रा पुत्र मायाराम उर्फ जितेंद्र प्रसाद 2- मायाराम उर्फ जितेंद्र प्रसाद पुत्र श्रीपाल निवासीगण ग्राम टॉपर पुरवा मजरा अमेठी थाना धौरहरा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दो अवैध तमंचा 12 बोर 03 कारतूस जिंदा 12 बोर 01 कारतूस खोखा 12 बोर बरामद किया गया।

थाना मितौली पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त मनीराम को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त मनीराम पुत्र बच्चा निवासी तेंदुआ थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी के अभियान एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ईसानगर के नेतृत्व में पुलिस टीम ईसानगर ने आज दिनांक 09.02.2021 को मु0अ0सं0 53/21 धारा 376डीए/352/504 भा0द0वि0 व 5जी/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित बलात्कार के अभियुक्तगण 1. प्रेम कुमार पुत्र रामबली भार्गव 2. मुकेश पुत्र भगौती भार्गव नि0गण शेखपुर मजरा सुल्तानापुर थाना ईसानगर जिला खीरी को गिरफ्तार कर अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. प्रेम कुमार पुत्र रामबली भार्गव निवासी शेखपुर मजरा सुल्तानापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. मुकेश पुत्र भगौती भार्गव नि0गण शेखपुर मजरा सुल्तानापुर थाना ईसानगर जिला खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक अपराध श्री घनश्याम राम थाना ईसानगर जिला खीरी
2. उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी थाना ईसानगर जनपद खीरी
3. का0 वर्चस कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी
4. का0 संजीव कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अनुज कुमार संबंधित मु0अ0सं0

34/21 धारा 323/324/308 भादवि0 को गिरफ्तार किया गया।



प्रेस नोट

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपराध रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना हैदराबाद पर मु.अ.सं.034/2021 धारा 323/324/308 IPC का नामजद अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र अमृत लाल निवासी ग्राम भरतपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी मझिगवां नहर पुल से आज दिनांक 09-02-2021 को समय करीब 10.05 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशा देही पर घटना मे प्रयुक्त रक्त रंजित बगौड़ी भी बरामद की गयी है। अभियुक्त द्वारा उक्त बगौड़ी से अपनी दादी श्रीमति फूलमती को सिर मे बगौड़ी मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अनुज कुमार पुत्र अमृत लाल निवासी ग्राम भरतपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी
गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप यादव थाना हैदराबाद जिला खीरी।
2. का0 महावीर सिंह थाना हैदराबाद जिला खीरी।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 343/20 धारा 380/455 भादवि में वांछित अभि0 भाऊ उर्फ रामासरे पुत्र जगदीश नि0 ढखिया थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ0सं0 35/01 धारा 3/4 यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में वारंटी अभि0 रामसेवक पुत्र मनोहर नि0 सहबाजपुर थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 128 लीटर अवैध कच्ची शराब, 3 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

| क्र0 सं0 | थाना | बरामदगी | गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या |
|----------|------------------|----------|-------------------------------|
| 1. | थाना मोहम्मदी | 39 लीटर | 03 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 2. | थाना फूलबेहड़ | 35 लीटर | 03 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 3. | थाना मैलानी | 20 लीटर | 02 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 4. | थाना कोतवाली सदर | 15 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 5. | थाना निघासन | 10 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 6. | थाना ईशानगर | 09 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| | कुल योग | 128 लीटर | 11 अभियुक्त गिरफ्तार |